

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं  
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 368/2018

किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

## उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री रतनलाल पुत्र बंशीलाल काबरा, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा जरिये पंजीकृत बक्षीश श्री शिवदयाल पुत्र रतनलाल काबरा, निवासी बी-30, विजयसिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा
	---प्रार्थी			---विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G  
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to  
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.01.2019	<p align="center"><b>:: आदेश ::</b></p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/ चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित <b>ग्राम गुड़ा की आराजी नम्बर 550/1 में से 0.0045 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</b></p> <p>तहसीलदार माण्डल से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि श्री रतनलाल पुत्र बंशीलाल काबरा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। श्री शिवदयाल पुत्र रतनलाल काबरा ने दिनांक 28/12/2018 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित निर्माण दिनांक 06/06/2012 को जरिये रजिस्ट्री श्री रतनलाल पुत्र बंशीलाल काबरा ने प्रार्थी शिवदयाल पुत्र रतनलाल काबरा के पक्ष में बक्षीश कर दी गयी है। तब से उक्त आराजी पर मैं प्रार्थी काबिज होकर राष्ट्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3D अधिसूचना दिनांक 9/5/2017 से उक्त आराजी में से 50 वर्ग मीटर भूमि पूर्व में प्रकरण संख्या 288/2017 अवाई दिनांक 04/09/2017 से अवाप्त की जाकर अवाई मुझ प्रार्थी के नाम जारी होकर प्रतिकर राशि मैंने प्राप्त कर ली है। अवाप्ताधीन भूमि की <b>DLC</b> दर उप पंजीयक माण्डल से प्राप्त की गयी।</p>	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)  
भीलवाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम गुढा की आराजी नं० 550/1 किस्म गै०मु० वाणिज्यक का कुल रकबा 00.00.15 बीघा अर्थात् 94.80 वर्ग मीटर ही हैं। राष्ट्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3D अधिसूचना दिनांक 9/5/2017 से उक्त आराजी में से 50 वर्ग मीटर भूमि पूर्व में प्रकरण संख्या 288/2017 अवाई दिनांक 04/09/2017 से अवाप्त की जा चुकी हैं। इस प्रकार आराजी नं० 550/1 में हितबद्धधारी की 0.004480 हैक्टर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर भूमि ही शेष हैं। अतः आराजी नं० 550/1 में से 0.004480 हैक्टर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर भूमि के प्रतिकर का निर्धारण हितबद्ध विपक्षी के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम गुढा)	550/1
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.004480 हैक्टर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	गै०मु० वाणिज्यक
4	हितबद्ध खातेदार	श्री रतनलाल पुत्र बंशीलाल काबरा, निवासी माण्डल जरिये पंजीकृत बक्षीश श्री शिवदयाल पुत्र रतनलाल काबरा
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्ग फीट)	1,190- रुपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	12,804.40- रुपये
7	PWD के अनुसार ग्राम गुढा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	6.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	5,73,637- रुपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 00-10 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा की दर से राशि	7,17,046- रुपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	Nil
11	योग (9+10)	7,17,046- रुपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	7,17,046- रुपये
13	दिनांक 31.01.2018 से 02.01.2019 तक कुल 336 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	63,367- रुपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	14,97,459- रुपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	1,49,746- रुपये
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	13,47,713- रुपये

अक्षरे - तेहर लाख सेतालीस हजार सात सौ तेरह रुपये मात्र

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फ़ैसल शुमार की जावे।

(एल०आर० गुगरवाल)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)  
भीलवाड़ा

